

स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश
(भोपाल, फोन नं. 0755-4001680)

ई-मेल: spdmpwb@gmail.com

क्रमांक / 264 / वि.बै.परि. / 2022

दिनांक 14 / 03 / 2022

प्रति,

प्राचार्य,
शास. महाविद्यालय
(विश्व बैंक वित्त पोषित MPHEQIP एवं
रूसा अंतर्गत लाभांशित महाविद्यालय)
उच्च शिक्षा, भोपाल।

विषय:- विश्व बैंक वित्त पोषित MPHEQIP एवं रूसा अंतर्गत लाभांशित महाविद्यालयों को नियमानुसार कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश।

---000---

विषयांतर्गत लेख है कि रूसा परियोजना एवं विश्व बैंक वित्त पोषित MPHEQIP अंतर्गत आपके महाविद्यालयों को समय-समय पर विभिन्न प्रशासकीय स्वीकृतियों एवं बजट आवंटन जारी किया गया है।

उक्तानुसार जारी स्वीकृतियों के अनुक्रम में लेख है कि आपके महाविद्यालय हेतु जो भी सामग्री / उपकरण एवं अन्य क्य की कार्यवाही की जाना है, वह मध्यप्रदेश भण्डार क्य नियम तथा सेवा उत्पादन नियम 2015 एवं संशोधनों तथा म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. 1008 / 03 / रूसा / सी.सी. / 19 / 38 भोपाल दिनांक 04.12.2019 एवं उसके पश्चात् हुए संशोधनों का पालन करते हुए नियमानुसार क्य की कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जावे।

(दीपक सिंह, IAS)

आयुक्त
उच्च शिक्षा

क्रमांक / / वि.बै.परि. / 2022

दिनांक / / 2022

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
2. समस्त संबंधित विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा, कृपया आपको आवंटित जिलों में भ्रमण के दौरान कार्यों की समीक्षा करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, संबंधित संभाग की ओर इस आशय से कि वे आपके क्षेत्रांतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के कार्यों की सतत मानिट्रिंग करना सुनिश्चित करेंगे।
4. गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त
उच्च शिक्षा